न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 34 / 2012

राजस्थान सरकार जरिये श्री राकेश शर्मा, प्रर्वतन अधिकारी अजमेर। .....*प्रार्थी*

बनाम

1. सिराजुद्धीन पुत्र श्री कुतुबुदीन दीवाना भट्टे वाली गली, आनासागर पुलिस चौकी के सामने, अजमेर।
2. श्री सुरज रावत पुत्र श्री गैना सिंह निवासी ग्राम बोराज ग्राम पंचायत हाथीखेडा, तहसील अजमेर (वैन ड्राइवर)
3. श्री सोहन लाल पुत्र श्री बोदूमल माली मौहल्ला फॉयसागर रोड, अजमेर। (वैन मालिक)

.....*अप्रार्थीगण*

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित ;. 1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रर्वतन अधिकारी पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 24.05.2017

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी श्री हरिशंकर गोयल को अप्रार्थी के विरूद्ध वाहनों में अवैध रूप से घरेलु गैस की रिफलिंग किये जाने का व्यवसाय संचालित किये जाने की प्राप्त शिकायत की जॉच प्रार्थी मय प्रवर्तन निरीक्षक दल द्वारा की गई। मौके पर अप्रार्थी के मकान के खुले चौक में एक मारूती ओमनी वैन नीले रंग की रजिस्ट्रेशन नं0 RJ-01-UA-0646 खडी पाई गई जिसे इस परिसर में अप्रार्थी सं0 02 द्वारा वाहन के टैंक में एल.पी.जी.गैस रिफलिंग के प्रयोजन से मय दो गैस सिलेण्डर के लाना तथा अप्रार्थी सं0 01 से 50 रूपये प्रति सिलेण्डर के गैस रिफलिंग किया जाना तय होना अवगत करवाया। दोनो गैस सिलेण्डर का विवरण है।

क0सं0	सिलेण्डर सं0	नाम कम्पनी	G.T.(Kg)	T.W. (Kg)	N.W. (Kg)
1.	113330 T	एचपीसी (घरेलू)	17.1	15.7	1.4
2.	463951 S	एचपीसी (व्यवसायि	20.8	19.2	1.6

दोनों गैस सिलेण्डर में कम मात्रा में गैस होना दर्शाता है कि वाहन में गैस रिफलिंग हो चूकी थी। परिसर में अप्रार्थी सं0 01 द्वारा 2 इलेक्ट्रिक रिफलिंग मशीन एवं अन्य 7 घरेलू एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर वाहनों में गैस रिफलिंग के प्रयोजन से भण्डारित पाये गये, जिनका विवरण :–

क0सं0	सिलेण्डर सं0	नाम कम्पनी	G.T.(Kg)	T.W. (Kg)	N.W. (Kg)
1.	119966 S	एचपीसी	19.1	17.1	1.9
2.	449089 S	एचपीसी	30.9	14.0	14.9
3.	187080 S	एचपीसी	17.9	16.5	1.9
4.	75891 E	एचपीसी	16.3	15.5	0.8

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

5.	208214 P	एचपीसी	16.9	15.8	1.1
6.	532153 P	एचपीसी	15.7	15.6	0.1
7.	52006 S	आइओसी	25.6	15.6	10.0

अप्रार्थी सं0 02 वैन ड्राइवर द्वारा प्रस्तुत किये वाहन के रजिस्ट्रेशन के अनुसार वैन मालिक अप्रार्थी सं0 03 श्री सोहनलाल पुत्र श्री बोदूगल निवासी गाली मौहल्ला, फायसागर रोड, होना जाहिर हुआ। अप्रार्थी सं 01 के विरूद्ध पूर्व में भी दिनांक 17.02.2011 को अवैध रिफलिंग का प्रकरण दर्ज करवाया गया था जिसमें 11 घरेलु गैस सिलेण्डर एवं 2 रिफलिंग मशीन राजसात कर वैन मालिक पर जुर्माना आरोपित किया गया था। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी सं0 01 के विरूद्ध किशिचयनगंज थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। जिसमें अप्रार्थी सं0 01 के विरूद्ध चालान पेश कर दिया गया है। अप्रार्थी सं0 01 द्वारा पुनः इसी प्रकार अवैध कार्य की पुनरावृति किया जाना गंभीर एवं आदतन अपराधिक प्रवृति का द्योतक है। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1)सी ,4(1)ए, का स्पष्ट उल्लंघन होने से इनके कब्जे से 7 घरेलु गैस सिलेण्डर व दो रिफलिंग मशीन तथा वैन चालक अप्रार्थी संख्या 02 का कृत्य भी 3(1)सी की अवहेलना होने कारण इनके कब्जे से एक घरेलु तथा एक व्यवसायिक गैस सिलेण्डर तथा मारूती वैन RJ-01-UA-0646 कब्जे राज लिये जाकर श्री मनोज पुत्र श्री हारा लाल मैनेजर मैसर्स ख्वाजा गैस एजेन्सी (बी.पी.सी) को सुपुर्दगी पर दिये गये तथा मारूती वैन सं0 RJ-01-UA-0646 को श्री चिरजीं लाल पुत्र श्री हेमराज निवासी उपर का कुआं, धोलाभाटा, अजमेर को सुपुर्दगी पर दी गई। उपरोक्त कब्जेराज ली गई सामग्री एक मारूती वैन RJ-01-UA-0646, 8 घरेलु गैस सिलेण्डर, एक व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 2 रिफलिंग मशीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर नोटिस जारी किऐ गये। अप्रार्थी0 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। वास्ते जवाब पर्याप्त समय दिये ज़ाने पर भी उनके द्वारा कोई जवाब प्रार्थना पत्र कथनो के खण्डन में प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात लम्बे समय से सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर उपस्थित पैरोकार सरकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध वाहनों में अवैध रूप से घरेलु गैस की रिफलिंग किये जाने का व्यवसाय संचालित किये जाने की प्राप्त शिकायत की जॉच प्रार्थी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक दल के साथ की गई। मौके पर अप्रार्थी के मकान के खुले चौक में एक मारूती ओमनी वैन नीले रंग की रजिस्ट्रेशन नं0 RJ-01-UA-0646 खडी पाई गई जिसे इस परिसर में अप्रार्थी सं0 02 द्वारा वाहन के टैंक में एल.पी.जी.गैस रिफलिंग के प्रयोजन से मय दो गैस सिलेण्डर (एक घरेलु तथा एक व्यवसायिके लाना तथा अप्रार्थी सं0 01 से 50 रूपये प्रति सिलेण्डर के गैस रिफलिंग किया जाना तय होना अवगत करवाया। दोनों गैस सिलेण्डर में कम मात्रा में गैस होना दर्शाता है कि वाहन में गैस रिफलिंग हो चूकी थी। परिसर में अप्रार्थी सं0 01 द्वारा 2 इलेक्ट्रिक रिफलिंग मशीन एवं अन्य 7 घरेलू एल.पी. जी. गैस सिलेण्डर वाहनों में गैस रिफलिंग के प्रयोजन से भण्डारित पाये गये, अप्रार्थी सं0 02 वैन ड्राइवर द्वारा प्रस्तुत किये वाहन के रजिस्ट्रेशन के अनुसार वैन मालिक अप्रार्थी सं0 03 होना जाहिर हुआ। अप्रार्थी सं 01 के विरूद्ध पूर्व में भी दिनांक 17.02.

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

2011 को अवैध रिफलिंग का प्रकरण दर्ज करवाया गया था जिसमें 11 घरेलु गैस सिलेण्डर एवं 2 रिफलिंग मशीन माननीय न्यायालय द्वारा राजसात किया जाकर वैन मालिक पर जुर्माना आरोपित किया गया था। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी सं0 01 के विरूद्ध किश्चियनगंज थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। प्रकरण में अप्रार्थी सं0 01 के विरूद्ध चालान पेश कर दिया गया है। अप्रार्थी सं0 01 द्वारा पुनः इसी प्रकार अवैध कार्य की पुनरावृति किया जाना गंभीर एवं आदतन अपराधिक प्रवृति का द्योतक है। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1)सी ,4(1)ए, का स्पष्ट उल्लंघन होने से इनके कब्जे से 7 घरेलु गैस सिलेण्डर व दो रिफलिंग मशीन तथा वैन चालक अप्रार्थी संख्या 02 का कृत्य भी 3(1)सी की अवहेलना होने कारण इनके कब्जे से एक घरेलु तथा एक व्यवसायिक गैस सिलेण्डर तथा मारूती वैन RJ-01-UA-0646 कब्जे राज लिये जाकर श्री मनोज पुत्र श्री हीरा लाल, मैनेजर, मैसर्स ख्वाजा गैस एजेन्सी (बी.पी.सी) को सुपुर्दगी पर दिये गये तथा मारूती वैन सं0 RJ-01-UA-0646 को श्री चिरजीं लाल पुत्र श्री हेमराज निवासी उपर का कुआं, धोलाभाटा, अजमेर को सुपुर्दगी पर दी गई । अतः उपरोक्त कब्जेराज ली गई सामग्री एक मारूती वैन RJ-01-UA-0646, 8 घरेलु गैस सिलेण्डर, एक व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 2 रिफलिंग मशीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश प्रदान करावें।

हमने पैरोकार सरकार के कथनों पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त जांच मौके पर परिसर में अप्रार्थी सं0 03 की मालिकाना हक की मारूति वैन सं0 RJ-01-UA-0646 मय एक घरेलू गैस सिलेण्डर व एक व्यवसायिक गैस सिलेण्डर के पाई गई जो अप्रार्थी सं0 2 व 3 के द्वारा जब्त मारूति वैन में अवैद्य गैस रिफलिंग के उपयोग को स्पष्ट करता है। अप्रार्थी सं0 1 के मकान से 7 घरेलु गैस सिलेण्डर, दो रिफलिंग मशीन, तथा मौके पर मारूती वैन मय सिलेण्डर पाया जाना अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों से वाहनों में अवैध रूप से गैस रिफलिंग का कार्य किया जाना साबित करता है। अप्रार्थी सं0 01 के विरूद्ध पूर्व में भी अवैध रिफलिंग का प्रकरण दर्ज होना, पुलिस थाना किश्चयनगंज में एफ.आई.आर दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश होना अप्रार्थी का आदतन अवैध कृत्य किये जाना दर्शित करता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड, 3(1)सी ,4(1)ए, का स्पष्ट उल्लंघन होने के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध भी है। लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्त कब्जेराज ली गई सामग्री, एक मारूती वैन RJ-01-UA-0646, 8 घरेलु गैस सिलेण्डर, एक व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 2 रिफलिंग मशीन को राजसात किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.05.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner